REGD. No. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032025-261826 CG-DL-E-21032025-261826

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 20, 2025/फाल्गुन 29, 1946 No. 149] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 20, 2025/PHALGUNA 29, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2025

सा.का.नि. 184(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल,परिवहन), ईमेल: comments-<u>morth@gov.in</u>, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास भेजा जा सकता है।

<u> प्रारूप नियम</u>

1. शीर्षक एवं प्रारंभ – (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (......संशोधन) नियमावली, 2025 कहा जाएगा।

(2) इन नियमों में यथा-निहित के अलावा, ये नियम आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर य़ान नियमावली (सीएमवीआर), 1989 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) में, <mark>नियम</mark> 2 में, खंड (जेडडी) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (जेडई) और (जेडएफ) अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(जेडई) मोटर यान के "नए मॉडल" से तात्पर्य ऐसे वाहन मॉडल से है, जो नियम 126 के अंतर्गत अधिसूचित किसी भी परीक्षण एजेंसी से सीएमवीआर प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र प्राप्त करता है, जो सीएमवीआर के किसी नए नियम के कार्यान्वयन की तिथि को या उसके बाद होता है, जिसके लिए नए मॉडल के लिए अलग तिथि दी गई है और "नया मॉडल" नए नियम की अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

(जेडएफ) मोटर यान के "मौजूदा मॉडल" से तात्पर्य ऐसे वाहन मॉडल से है जिसे नए नियम के कार्यान्वयन की प्रारंभिक तिथि से पहले ही टाइप अनुमोदित किया जा चुका है और उन "मौजूदा मॉडलों" को मौजूदा मॉडलों के लिए नए नियम में अधिसूचित एक अलग तिथि से नए नियम की अपेक्षाओं को पूरा करने की अनुमति दी जाएगी।

3. उक्त नियम में, नियम 93 के उप-नियम (1)(ख) में, मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद (i) प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"रियर व्यू मिरर, या अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए उपकरण, या गार्ड रेल या दिशा सूचक रब-रेल (रबर बीडिंग) जिसकी बॉडी या साइड फुट स्टेप के प्रत्येक तरफ अधिकतम 20 मिलीमीटर की मोटाई हो, या ब्लाइंड स्पॉट सूचना प्रणाली, मूविंग ऑफ सूचना प्रणाली आदि जैसे उन्नत चालक सहायता प्रणालियों के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को उनके आवरण सहित मोटर वाहन की समग्र चौड़ाई मापने में विचार नहीं किया जाएगा। उपरोक्त उपकरण निर्धारित आयाम के भीतर होने चाहिए, यदि संबंधित मानकों में ऐसा निर्दिष्ट किया गया हो।"

4. उक्त नियमावली में, नियम 96 के उप-नियम (4) में, मद (ii) में, तीसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"यह भी प्रावधान है कि नए मॉडलों के मामले में 1 अप्रैल, 2026 को और उसके बाद निर्मित वाहनों की एम2, एम3, एन1, एन2, एन3 और क्वाड्रिसाइकिल श्रेणियों के लिए सभी मॉडलों के मामले में एंटी-लॉक ब्रेकिंग के अलावा ब्रेकिंग प्रणाली, 1 अक्टूबर, 2026 को समय-समय पर यथा संशोधित आईएस:11852:2019 के अनुरूप होगी।"

5. उक्त नियमावली में, नियम 96 के उपनियम (4) में, मद (ii) में, चौथे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"यह भी प्रावधान है कि मोटर यान श्रेणियां जिनके लिए आईएस: 11852:2019 के अनुसार एंड्योरेंस ब्रेकिंग सिस्टम टेस्ट (टाइप II ए टेस्ट) लागू है और 1 अप्रैल, 2026 को या उसके बाद निर्मित हैं, वे समय-समय पर संशोधित आईएस: 11852:2019 में यथा निर्दिष्ट एंड्योरेंस ब्रेकिंग सिस्टम टेस्ट (टाइप II ए टेस्ट) का अनुपालन करेंगे।"

6. उक्त नियमावली में, नियम 96 के उप-नियम (4) में, मद (ii) में, पांचवें परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"यह भी प्रावधान है कि नये मॉडलों के मामले में 1 अप्रैल, 2026 को और उसके बाद निर्मित वाहनों की एन1 श्रेणी के लिए एंटी-लॉक ब्रेकिंग के अलावा अन्य ब्रेकिंग प्रणाली, तथा विद्यमान मॉडलों के मामले में 1 अक्टूबर, 2026 को निर्मित वाहनों के लिए आईएस: 11852:2019 की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।"

7. उक्त नियमावली में, नियम 96 के उप-नियम (4-ख) में, प्रथम परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित उपबंध अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"यह भी प्रावधान है कि नए मॉडलों के मामले में 1 अप्रैल, 2026 को और उसके बाद निर्मित श्रेणी एम2 के वाहनों तथा सभी मॉडलों के मामले में 1 अक्टूबर, 2026 को निर्मित वाहनों में समय-समय पर संशोधित आईएस 11852:2019 के अनुरूप एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लगाया जाएगा।"

8. उक्त नियमावली में, नियम 96 के उप-नियम (9) में, प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— "इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि जोखिमभरी सामग्रियों और तरल पेट्रोलियम गैस, एम3 और एन3 ले जाने के लिए ट्रैक्टर-ट्रेलर संयोजन के अलावा श्रेणी एन2 के वाहन, नए मॉडलों के मामले में 1 अप्रैल, 2026 को और उसके बाद निर्मित और सभी मॉडलों के मामले में 1 अक्टूबर, 2026 को निर्मित वाहनों में समय-समय पर यथा संशोधित आईएस: 11852:2019 के अनुरूप एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लगाया जाएगा।"

9. उक्त नियमावली में, नियम 96 में, उप-नियम 11 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(12) 1 अप्रैल, 2026 को और उसके बाद निर्मित सभी एम2, एम3, एन2 और एन3 श्रेणी के वाहनों में, नए मॉडलों के मामले में, 1 अक्टूबर, 2026 को और सभी मॉडलों के मामले में, आईएस 11852:2019 के अनुसार वाहन स्थिरता फ़ंक्शन और एआईएस-162 के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित उन्नत आपातकालीन ब्रेकिंग सिस्टम लगाए जाएंगे, किया जाता है।"

10. उक्त नियमावली में, नियम 98 में, उप-नियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(6) 1 अप्रैल, 2026 को और उसके बाद, नए मॉडलों के मामले में और 1 अक्टूबर, 2026 को, मौजूदा मॉडलों के मामले में, श्रेणी एम2, एम3, एन2 और एन3 के वाहनों में लेन प्रस्थान चेतावनी प्रणाली (एलडीडब्ल्यूएस) लगाई जाएगी, जो समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-188 के अनुरूप होगी।"

11. उक्त नियमावली में, नियम 125सी के उप-नियम 7(ख) में, सारणी 1 के मद 6 के कॉलम 4 में, शब्द और अंक "1 अप्रैल, 2023" के पश्चात् शब्द और अंक "1 अक्तूबर, 2025 (स्कूल बसों के लिए)" अंत:स्थापित किए जाएंगे।

12. उक्त नियमावली में, नियम 125पी के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातु:-

"125क्यू उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणाली.- (1) नए मॉडलों के मामले में 1 अप्रैल 2026 को और उसके बाद निर्मित एम2, एम3, एन2 और एन3 श्रेणियों के वाहनों में तथा मौजूदा मॉडलों के मामले में 1 अक्टूबर 2026 को, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-184 में निर्दिष्ट चालक तंद्रा और ध्यान चेतावनी प्रणाली लगाई जाएगी।

(2) नए मॉडलों के मामले में 1 अप्रैल 2026 को और उसके बाद निर्मित एम2, एम3, एन2 और एन3 श्रेणियों के वाहनों में तथा मौजूदा मॉडलों के मामले में 1 अक्टूबर 2026 को समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-186 में निर्दिष्ट ब्लाइंड स्पॉट सूचना प्रणाली लगाई जाएगी।

(3) नए मॉडलों के मामले में 1 अप्रैल 2026 को और उसके बाद निर्मित एम2, एम3, एन2 और एन3 श्रेणियों के वाहनों तथा मौजूदा मॉडलों के मामले में 1 अक्टूबर 2026 को यथा संशोधित एआईएस-187 में निर्दिष्ट मूविंग ऑफ सूचना प्रणाली लगाई जाएगी।

[फा. सं. आरटी-11036/106/2024 -एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपधारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 2 जून,1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि........(अ), दिनांकित द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICAION

New Delhi, the 20th March, 2025

G.S.R. 184(E).—The following draft rules to further amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL, Transport), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

Draft Rules

1. Short title and commencement — (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2025.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (herein after referred as the said rules), in rule 2, after clause (zd), following clauses (ze) and (zf) shall be inserted, namely: -

"(ze) "New Model" of a motor vehicle means a vehicle model which obtains a CMVR Type Approval Certificate from any of the Test Agency notified under Rule 126, on or after the date of implementation of any new Rule of CMVR for which separate date is given for the new model and the "New Model" shall meet the requirements of the new Rule.

(zf) "Existing Model" of a motor vehicle means a vehicle model which has already been Type Approved prior to the earliest date of implementation of the new Rule and those "Existing Models" shall be allowed to meet the requirements of the new Rule on and from a different date, as notified in the new Rule for Existing Models.

3. In the said rules, in rule 93, in sub-rule (1)(B), for item (i), following item (i) shall be substituted, namely: -

"A rear-view mirror, or devices for indirect vision, or guard rail or a direction indicator rub-rail (rubber beading) having maximum thickness of 20 millimeter on each side of the body or side foot step, or sensors along with their casing used for advanced driver assistance systems such as Blind Spot Information System, moving Off Information system, etc., shall not be taken into consideration in measuring the overall width of a motor vehicle. The above devices shall be within the prescribed dimension if so specified in the respective standards".

4. In the said rules, in rule 96, in sub-rule (4), in item (ii), after the third proviso following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided also that Braking system other than Anti-lock Braking for M2, M3, N1, N2, N3 and Quadricycle categories of vehicles manufactured, on and after 1st April, 2026, in case of new models and 1st October, 2026, in case of all models shall conform to IS:11852:2019, as amended from time to time."

5. In the said rules, in rule 96, in sub-rule (4), in item (ii), after the fourth proviso following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided also that motor vehicle categories for which Endurance Braking System Test (Type II A Test) is applicable as per IS:11852:2019 and manufactured on and after 1st April 2026, shall comply with the Endurance Braking System Test (Type II A test) as specified in IS:11852:2019 amended from time to time."

6. In the said rules, in rule 96, in sub-rule (4), in item (ii), after the fifth proviso following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided also that Braking system other than Anti-lock Braking for N1 category of vehicles manufactured, on and after 1st April, 2026, in case of new models and 1st October, 2026, in case of existing models shall comply with the requirements of IS:11852:2019."

7. In the said rules, in rule 96, in sub-rule (4-B), after first proviso following provisions shall be inserted, namely:----

"Provided also that vehicles of category M2 manufactured on and after 1st April, 2026, in case of new models and 1st October, 2026, in case of all models, shall be fitted with Anti-lock Braking System conforming to the IS 11852:2019, as amended from time to time.

8. In the said rules, in rule 96, in sub-rule (9), after first proviso following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided further that vehicles of category N2 other than tractor-trailer combination meant for carrying hazardous goods and liquid petroleum gas, M3 and N3 manufactured on and after 1st April, 2026, in case of new models and 1st October, 2026, in case of all models, shall be fitted with Anti-lock braking system conforming to IS:11852:2019, as amended from time to time."

9. In the said rules, in rule 96, after sub-rule 11, following shall be inserted, namely: -

"(12) All M2, M3, N2 and N3 category of vehicles, manufactured on and after 1st April 2026, in case of new models, and 1st October 2026, in case of all models, shall be fitted with Vehicle Stability Function as per IS 11852:2019 and Advanced Emergency Braking Systems, as per AIS-162, as amended from time to time."

10. In the said rules, in rule 98, after sub-rule (5) following shall be inserted namely: -

"(6) On and after, 1st April 2026, in case of new models and 1st October 2026, in case of existing models, vehicles of category M2, M3, N2 and N3 shall be fitted with Lane Departure Warning System (LDWS), which shall conform to AIS-188, as amended from time to time."

11. In the said rules, in rule 125C, in sub-rule 7(b), in Table I, in item 6, in column 4, after the words and figures "1st April 2023", the words and figures "1st October 2025 (for school buses)" shall be inserted.

12. In the said rules, after rule 125P, following rule shall be inserted, namely: -

"**125Q.** Advance Driver Assistance Systems.- (1) Vehicles of categories M2, M3, N2 and N3 manufactured on and after, 1st April 2026, in case of new models and 1st October 2026, in case of existing models shall be fitted with Driver Drowsiness and Attention Warning Systems as specified in AIS-184, as amended from time to time.

(2) Vehicles of categories M2, M3, N2 and N3 manufactured on and after, 1st April 2026, in case of new models and 1st October 2026, in case of existing models shall be fitted with Blind Spot Information Systems as specified in AIS-186, as amended from time to time.

(3) Vehicles of categories M2, M3, N2 and N3 manufactured on and after, 1st April 2026, in case of new models and 1st October 2026, in case of existing models shall be fitted with Moving off Information Systems as specified in AIS-187, as amended from time to time."

[F. No. RT-11036/106/2024 -MVL] MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(i) *vide* G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* G.S.R.(E) dated the